न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/143/2022

वउनवान

1. भुल्ली पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर जिला अलवर ।

------ सायल

बनाम

1. दीपक पुत्र फत्तेसिंह जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर।
2. साहवसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी अर्रूवा तहसील कठूमर।
3. तहसीलदार कठूमर कम सव रजिस्ट्रार कठूमर जिला अलवर।

---- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित :- श्री सुभाषचन्द शर्मा-अधिवक्ता सायल की ओर से
श्री धर्मसिंह मीना -अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 की ओर से
श्री नरेश कुमार-अधिवक्ता गैरसायल सं0 2 की ओर से

आदेश दिनांक 24.02.2023

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 319, 353, 383, 384, 385, 375, 376, 136 व खसरा नम्बर 134 रकवा 0.28 हे. में से 45 25 फुट ग्राम रेला तहसील कठूमर में स्थित है। जो विवादित है। सायल अविवाहित है तथा आराजी मुतनाजा के अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता है व गुजारा करता है। गैरसायल सं0 3 सायल की भाभी है जिसने जनवरी माह में अपने पुत्र दीपक को गोद लेने वावत सायल को कहा जिस पर सायल ने जाति विरादरी की रस्म रिवाज के मुताविक काम करने को कहा तथा इस वावत [illegible] की औरत है। जिसने दिनांक 18.01.2022 को सायल को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर के दि[illegible] सायल को नशा हो गया तथा नशे की हालत में गैरसायल सं0 3 एवं उसके पुत्र गैरसाय[illegible] 1 सायल को लेकर तहसील में आ गये तथा गोदनामा की कहकर [illegible] सं0 1 के हक में [illegible] करा लिया।जो हक त्याग शडयंत्र कर धोखे से कराया है [illegible] सायल पावन्द नही [illegible] गैरसायल सं0 1 व 3 ने गैरसायल सं0 2 से मिलकर सायल से नशे की हालत में दिनांक 18.01.2022 विना जरे बदल विना कब्जा के खसरा नम्बर 134 में से सायल के हिस्से में से एक भूखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.05.23 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

45 25 फुट का वयनामा करा लिया है जो कृषि भूमि है। जिस भूमि का रूपान्तरण भी नहीं हुआ है। जिस वयनामा के आधार पर गैरसायल सं0 2 सायल के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। वत्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। उक्त वयनामा से सायल के हक हकूक जायल हो रहे है। गैरसायल सं0 1–2 जबर्दस्त व्यक्ति है जो जवरन सायल के हिस्सा की आराजी पर जवरन कब्जा करना चाहते है व सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर रहे है व कच्चा पक्का निर्माण करने की धमकी दे रहे है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को काफी नुकशान होगा। इस वजह से गैरसायलान को ता फैसला दावा स्टे आदेश से पावन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ने जवाव पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी पर सायल का कब्जा ना होकर वाद हक त्याग से गैरसायल काविज रहकर काश्त कर रहा है। सायल ने गैरसायल सं0 3 पर तहसीलदार कठूमर को पक्षकार बनाया है जिसे सायल अपनी भाभी बताता है। सायल का यह कहना गलत है कि गैरसायल ने दिनांक 18.01.2022 को दूध में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर नशे की हालत में गोदनामा के स्थान पर हक त्याग धोखाधडी से कराया हो। सायल ने हक त्याग स्वेच्छा से रजिस्टर्ड कराया है। हक त्याग सायल ने गैरसायल के हक में होस हवास में स्वेच्छा से पूर्ण होस हवास में लिखवाकर सुन समझ कर हक त्याग पर हस्ताक्षर कर गवाहान की मौजूदगी में रजिस्टर्ड कराया है व मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा कराया है।रजिस्टर्ड हक त्याग पर गवाहान के हस्ताक्षर है व उप पंजीयक कठूमर द्वारा सायल के वयान लेकर विधिनुसार रजिस्टर्ड किया है। हक त्याग के वाद सायल का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। रजिस्टर्ड हक त्याग को कैंसिल करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है गैरसायल ने सायल को किसी तरह की धमकी नही दी। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है।सायल का [illegible]। गैरसायल सं0 2 ने अपना जवाव पेश कर कथन किया कि सायल ने अप[illegible] जरू[illegible] की पूर्ति के लिये आराजी खसरा नम्बर 134 के 54207/560000 हिस्सा वाके ग्राम रे[illegible] से मुझे दिनांक 18.1.2022 को नपत उत्तर से दक्षिण 25 फुट व पूर्व से पश्चिम 45 फुट आवासीय भूखण्ड मुझसे वेचान मद्दे रकम लेकर व मौके पर कब्जा देकर गवाहान की मौजूदगी में सायल ने पूर्ण होस हवास में वयनामा पढ सुन समझ कर अपने हस्ताक्षर कर उप पंजीयक कठूमर के समक्ष उपस्थित होकर रजिस्टर्ड कराया है। वाद वयनामा सायल का उक्त भूखण्ड से किसी तरह का सम्बन्ध व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 16:35:11 IST
Reason: Self/Attested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सरोकार नहीं है। रजिस्टर्ड वयनामा को कैंसिल करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है। वयनामा पर सायल ने गवाहान की मौजूदगी में हस्ताक्षर किये व वेचान वावत रकम प्राप्त की वयनामा पर गवाहान के हस्ताक्षर हैं।सायल के मन में बेईमानी आ गयी है इस वजह से अव गैरसायल के प्लाट पर जवरन कब्जा करना चाहता है। उक्त प्लाट गैरसायल का जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीदशुदा है सायल को उक्त भूखण्ड पर निर्माण करने उपयोग एव उपभोग करने का पूरा अधिकार है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 वाके ग्राम रेला व छाया प्रति हक त्याग व छाया प्रति वयनामा दिनांक 18.01.2022 की छाया प्रति पेश की है तथा वयनामा व हक त्याग पर गवाह मोरध्वज पुत्र रामदयाल के एक शपथ पत्र 100 रूपया के स्टाम्प पेपर पर व दूसरा शपथ पत्र 50 रूपया के स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराकर पेश किये है जो शामिल पंत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता गैरससायलान ने सायल के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को गलत बताते हुये प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से विवादित सायल व अन्य साझीदारान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। लेकिन गैरसायल सं0 1 ने कथन किया कि सायल ने अपने हिस्सा की आराजी का हक त्याग दिनांक 18.01.2022 को गैरसायल सं0 1 के हक में करा दिया है तथा गैरसायल सं0 2 को सायल ने 18.1.2022 को नपत उत्तर से दक्षिण 25 फुट व पूर्व से पश्चिम 45 फुट आवासीय भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेच कर कब्जा करा दिया। गैरसायलान ने अपने तथ्यों की पुश्टि में छाया प्रति हक त्याग व छाया प्रति वयनामा संलग्न की है। सायल का आरोप है कि गैरसालान ने सायल को नशे की हालत में गोदनामा की कहकर हक त्याग धोखाधडी से करा लिया। चूँकि दोनों दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज है। यदि गैरसायलान ने उक्त दस्तावेज धोखे से कराये हों ये तथ्य तो मूल वाद मे मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर ही तय किये जायेगे। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से गैरसायल सं0 3 तहसीलदार कठूमर है लेकिन सायल ने प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 4 की पहली लाइन में गैरसायल सं0 3 सायल की भाभी अंकित किया है। जो अनर्गल भाशा है। चूँकि हक त्याग व वयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukna Ram Pindel
Date: 2024.05.23 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

है जिनको चुनौती सिविल न्यायालय में ही दी जा सकती है। सायल को गैरसायलान से किस तरह का नुकशान हो रहा है यह सायल ने सावित नहीं किया है। यदि गैरसायलान को पावन्द कर दिया गया तो उन्हें अपार हानि होना संभव है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति हो रही है इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायल अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र सायल सावित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 14.06.2022 खारिज किया जाता है।प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 24.02.2023को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.23 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested